[illegible] –सी0सी0–02/उ0नि0/ब्रास–ब्रान्ज यूटेन्सिल क्लस्टर–24–10/2014............

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सर्वश्री रामराय औधोगिक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि0, रामराय सिंघाड़ा, महुआ, जिला–वैशाली को प्रथम किस्त के रूप में रू40.91लाख (चालीस लाख इक्यानवे हजार रू0 मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सर्वश्री रामराय औधोगिक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि0, रामराय सिंघाड़ा, महुआ, जिला–वैशाली के विकास के क्रम में प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) का उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिनांक–26.07.2017 की बैठक में अनुमोदित किए जाने के आलोक में सर्वश्री रामराय औधोगिक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि0, रामराय सिंघाड़ा, महुआ, जिला–वैशाली को स्वीकृत परियोजना लागत रू454.55 लाख के विरूद्ध 90 प्रतिशत की दर से अनुमान्य अनुदान रू409.1 लाख का **10 प्रतिशत की दर से प्रथम किस्त के रूप में रू40.91लाख (चालीस लाख इक्यानवे हजार रू0 मात्र)** की निकासी एवं **व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

2. राशि का व्यय स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार नहीं रहने तथा किसी प्रकार का विचलन किए जाने पर SPV को भुगतान की गयी राशि ब्याज सहित उद्योग विभाग को वापस करना होगा। व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना पर होने वाले व्यय का नियमित अनुश्रवण करेंगे कि कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार कराया जा रहा है या नहीं? साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं? प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएँगे।

4. उक्त क्लस्टर के पी0 एम0 ए0 मेसर्स ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल0एल0पी0, गुड़गॉव, उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के निमित्त कराए जा रहे कार्यो का नियमित अनुश्रवण करेंगे ताकि कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप हो सके। साथ ही वे उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के माध्यम से भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश सं0–1789, दिनांक–15.06.17 एवं आवंटनादेश सं0–23/आ0 दिनांक–20.06.17 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में आयोजना व्यय (विस्तृत) में मांग संख्या–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्यशीर्ष–00–,लघु शीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, उपशीर्ष

क्रमशः पृष्ठ–2

-0101-हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड-23-2851001040101 विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8. इस राशि की अग्रिम निकासी कोषागार फार्म संख्या-26 पर की जाएगी।

9. इस राशि का भुगतान सर्वश्री रामराय औधोगिक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि0, रामराय सिंघाड़ा, महुआ, जिला-वैशाली को डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-..............
पटना, दिनांक............

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-..1010.......
पटना, दिनांक 14.3.18............

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सर्वश्री रामराय औधोगिक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि0, रामराय सिंघाड़ा, महुआ, जिला-वैशाली / ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल0एल0पी0, गुड़गॉव, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

Diwakar-02